जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक: जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2022/डी– 399 दिनांक 23/8/2022

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 23 2022

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जयपुर मास्टर विकास योजना–2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है। उक्त मास्टर प्लान में हैरिटेज सिटी कुल क्षेत्रफल 13 वर्ग किलोमीटर व ग्रीन सिटी 24 वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित है। मास्टर विकास योजना–2025 के वॉल्यूम–2(Development Plan-2025) में बिन्दु संख्या–2.8 के उपबिन्दु (iii) पर SPECIFIC DEVELOPMENT AREA अंकित है, जिसमें न्यू जयपुर स्कीम के तहत हैरिटेज सिटी एवं ग्रीन सिटी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर विकास योजना–2025 में यह भी अंकित है कि "The landuse for both the parts shall be as per detailed Plans" उक्त detailed Plans के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (ले–आउट) की 282वीं बैठक दिनांक 19.06.2020 में न्यू जयपुर स्कीम की योजनाए हैरिटेज सिटी व ग्रीन सिटी हेतु विशिष्ठ प्रावधान प्रस्तावित कर संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव बाबत अधिसूचना जयपुर दिसम्बर 16/2020 का प्रकाशन दिनांक 18.12.2020 को दो राज्य स्तरीय समाचर पत्रों में हुआ था। बीपीसी (एल.पी.) की 300वीं बैठक दिनांक 28.06.2021 के कार्यवाही विवरण के शुद्धि पत्र डी–139 दिनांक 27.07.2021 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका 1554/2004 में दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं जविप्रा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल.पी. 12190/2019 में उक्त निर्देशों पर दायर की गई अपील में निर्णय प्राप्त होने तक मास्टर विकास योजना–2011 में ईकोलोजिकल क्षेत्र हेतु अनुज्ञेय गतिविधियाँ ही अनुज्ञेय होगी। एस.एल.पी के अंतिम निर्णय अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियों का पुनः निर्धारण किया जा सकेगा।

हैरिटेज सिटी के संबंध में दिनांक 29.07.2022 को आयोजित बैठक के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्तावित हैरिटेज सिटी कुल क्षेत्रफल 13 वर्ग किलोमीटर में से मास्टर विकास योजना–2011 में ईकोलोजिकल भू–उपयोग से प्रभावित भूमि क्षेत्रफल 4.75 वर्ग किलोमीटर को, हैरिटेज सिटी के कुल क्षेत्रफल में से पृथक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना–2011 में ईकोलोजिकल दर्शित है। अतः उक्त क्षेत्र का भू–उपयोग आरक्षित (Reserved) रखा जाना प्रस्तावित है तथा इस क्षेत्र में मास्टर विकास योजना–2011 के ईकोलोजिकल भू–उपयोग में अनुज्ञेय गतिविधियां अनुमत होंगी। भविष्य में उक्त क्षेत्र का भू–उपयोग नियमानुसार निर्धारित किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त संशोधन के संबंध में जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(3) के तहत आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है।

प्रस्तावित हैरिटेज सिटी हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई भी संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण अपने आपत्ति/सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा। हैरिटेज सिटी हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन का विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में स्थित नागरिक सेवा केन्द्र भवन की द्वितीय मंजिल पर कार्यालय समय में मास्टर प्लान शाखा व जविप्रा की वेबसाईट jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

23/8/22

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव—तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान/बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान/एल.पी./प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन—1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर—I, II/दक्षिण—I,II), जविप्रा, जयपुर।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
11. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा, जयपुर को भेजकर कर लेख है कि अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, इस हेतु नियमानुसार एक पृष्ठ के लिए रूपये .... का डी.डी. इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, जिससे उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।
12. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाने हेतु प्रेषित है।
13. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
14. नोटिस बोर्ड।

अति.मुख्य नगर नियोजक, (मा.प्लान),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।